संख्या–R-351/38–1–2022–3551/2022

प्रेषक,

उमाकान्त सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 29 दिसम्बर, 2022**

विषयः– **"ग्राम चौपाल"** (गाँव की समस्या, गाँव में समाधान) का आयोजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनसमस्याओं का निराकरण एवं पारदर्शिता राज्य सरकार की प्राथमिकता में है तथा इसके लिए समय–समय पर शासन स्तर से निर्देश भी निर्गत किये जाते रहे हैं। इसे और प्रभावी बनाने के लिए दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 से **"ग्राम चौपाल"** के आयोजन का निर्णय लिया गया है।

2– ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े अधिकारीगण प्रत्येक शुक्रवार को अपने कार्यक्षेत्र की 03 ग्राम पंचायतों में चौपाल का आयोजन कर जनसामान्य की शिकायतों/समस्याओं का मौके पर नस्तारण करायेंगे तथा इसके साथ ही ग्राम्य विकास विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन भी करेंगे। उक्त कार्यक्रम के दौरान यदि किसी योजना के बारे में कोई व्यावहारिक कठिनाई आती है या उसमें आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 स्तर से अंतक्षेप (Intervention) की आवश्कता है तो उससे आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को तत्काल अवगत कराया जाये ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर आ रही कठिनाइयों का त्वरित निस्तारण कराया जा सके।

3– विकास खण्ड की 03 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक शुक्रवार को **"ग्राम चौपाल"** का आयोजन किया जायेगा, जिसका समय प्रातः 11:00 बजे से चौपाल की समाप्ति तक होगा। खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा अपने विकास खण्ड की तीनों ग्राम पंचायतों में, जहां **"ग्राम चौपाल"** का आयोजन किया गया है, वहां अनिवार्य रूप से अध्यक्षता की जायेगी।

4– जनपद के जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं उपायुक्त (स्वतः रोजगार/श्रम रोजगार) द्वारा किसी एक विकास खण्ड के **"ग्राम चौपाल"** में प्रतिभाग किया जायेगा, इनके द्वारा किस विकास खण्ड में शुक्रवार को प्रतिभाग किया जाना है, का मासिक रोस्टर जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वयं भी किसी विकास खण्ड के एक **"ग्राम चौपाल"** में उपस्थित होकर जनसमस्याओं का निस्तारण कराया जायेगा।

"ग्राम चौपाल" की तिथियों एवं ग्राम जहां चौपाल आयोजित होगा का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा। प्रचार–प्रसार का दायित्व जनपद के मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

5– **"ग्राम चौपाल"** के लिए नामित अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में उस अधिकारी का प्रभार जिसके पास होगा, उसके द्वारा **"ग्राम चौपाल"** में प्रतिभाग किया जायेगा।

6– प्रदेश में कुल 826 विकास खण्ड हैं। प्रत्येक विकास खण्ड में प्रत्येक शुक्रवार को 03 **"ग्राम चौपाल"** के आयोजन की दशा में प्रत्येक सप्ताह 2478 ग्राम पंचायतों में **"ग्राम चौपाल"** आयोजित होगें तथा वर्ष के 52 सप्ताह में 1,28,856 ग्राम पंचायतें आच्छदित होंगी। इस तरह वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों में लगभग दो बार **"ग्राम चौपाल"** का आयोजन सम्पन्न होगा।

7– **"ग्राम चौपाल"** के लिए निर्धारित तिथि के 05 दिन पूर्व से ही उस ग्राम पंचायत में स्वच्छता/साफ–सफाई अभियान जनसहयोग से चलाया जायेगा।

8– **"ग्राम चौपाल"** में मा० सांसद, मा० पूर्व सांसद, मा० विधायक, मा० पूर्व विधायक, मा० विधान परिषद सदस्य, मा० पूर्व विधान परिषद सदस्य, मा० अध्यक्ष जिला पंचायत, मा० पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत प्रमुख क्षेत्र पंचायत, पूर्व प्रमुख क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत के वर्तमान एवं पूर्व ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्यों को चौपाल में आमंत्रित किया जायेगा।

9– **"ग्राम चौपाल"** में मा0 उपमुख्यमंत्री/मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के प्रतिनिधि के रूप में किसी न किसी मा० वर्तमान या पूर्व जनप्रतिनिधि द्वारा भी प्रतिभाग किया जायेगा।

10– **"ग्राम चौपाल"** की शुरूआत ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यो के निरीक्षण से होगी, जिसमें मनरेगा के कार्य, मजदूरी भुगतान, महिला मेट, समूह की गतिविधियां यथा–समूह गठन, बी0ओ0, सी0एल0एफ0, बी०सी० सखी, विद्युत सखी, लखपति महिला, टी०एच०आर० प्लान्ट, पंचायत विभाग द्वारा वित्त आयोग की धनराशि से कराये गये समस्त कार्य, ग्राम पंचायत में लगायी गयी लाइटों, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, जल निकासी नाली, सड़क/सम्पर्क मार्ग, गौ आश्रय स्थल, स्कूल भवन, स्कूल संचालन, एम०डी०एम०, सिंचाई व्यवस्था (नहर/नलकूप), संचारी रोग, टीकाकरण, राशन वितरण, उज्जवला गैस कनेक्शन, हर घर नल से जल, आंगनबाड़ी एवं ए०एन०एम० सेन्टर का निरीक्षण, वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन तथा छात्रवृत्ति का सत्यापन आदि किया जायेगा।

11– कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, कृषि एवं कृषि रक्षा से जुड़े विषय, प्राकृतित एवं आर्गेनिक खेती, हर घर नल से जल तथा सुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अनिवार्य रूप से चर्चा की जायेगी।

12– सम्बन्धित ग्राम के लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक भी चौपाल में उपस्थित होंगे तथा चकमार्ग, सार्वजनिक भूमि आदि की पैमाइश का कार्य भी इनके द्वारा चौपाल दिवस को कराया जायेगा।

13– **"ग्राम चौपाल"** में ग्राम्य विकास विभाग के अलावा अन्य विभागों यथा–पंचायत, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, शिक्षा, सिंचाई, नलकूल, पशुपालन, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं रसद तथा जल जीवन मिशन/नमामि गंगे आदि के ग्राम स्तरीय कर्मचारी तथा ग्राम स्तरीय कर्मचारी न होने की स्थिति में उस विभाग के खण्ड स्तरीय अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर से निर्देश अलग से निर्गत किये जायेगें। कार्यक्रम के आयोजन एवं अनुश्रवण का दायित्व जनपद के मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

14– **"ग्राम चौपाल"** में प्राथमिकता के आधार पर समस्या का निराकरण कराया जायेगा तथा किसी पुरानी एवं चिरप्रतीक्षित समस्या का निराकरण कर ग्रामवासियों तथा अन्य जनमानस को अवगत कराया जायेगा।

15– अच्छे कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों (संविदा सहित) को प्रशस्ति–पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा तथा इनको अपने पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए प्रेरित भी किया जायेगा।

16– **"ग्राम चौपाल"** में अलग–अलग प्राथमिकता निर्धारित की जाय। कभी महिला, कभी स्वास्थ्य, कभी शिक्षा तथा कभी कृषि आदि विषयों पर केन्द्रित कार्यक्रम आयोजित किये जांय।

17– जिस ग्राम पंचायत में चौपाल आयोजित होगी, यहां के गांव से बाहर रहने वाले संभ्रान्त नागरिकों, ग्राम में वर्तमान में रहने वाले संभ्रान्त नागरिकों एवं ग्राम के खिलाड़ियों (बालक/बालिका) के सम्बन्ध में अलग–अलग प्रारूप पर सूचना उसी दिन उपलब्ध करायी जायेगी। ग्राम पंचायत में सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों के विषय में भी सूचना संकलित कर उपलब्ध करायी जानी है। (सूचना का प्रारूप संलग्न है)

18– **"ग्राम चौपाल"** में आयोजित होने वाले कार्यक्रम, प्रतिभाग करने वाले जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का विवरण, चौपाल में आई महत्वपूर्ण समस्यायें तथा उस पर की गयी कार्यवाही आदि का विवरण उसी दिन विकास खण्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायां जायेगा। (सूचना का प्रारूप संलग्न है)। आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा बिन्दु संख्या–16 एवं 17 की सूचना हेतु रूरल साफ्ट पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, जिससे विकास खण्डों द्वारा सीधे सूचना का अंकन किया जा सके तथा राज्य स्तर पर प्रत्येक चौपाल की संकलित सूचना प्राप्त हो सके।

19– माह में एक बार प्रदेश स्तर पर इसकी समीक्षा हेतु मा० उपमुख्यमंत्री/मा० मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जानी है, जिसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

20– **"ग्राम चौपाल"** आयोजन के एक माह बाद चौपाल में प्रतिभाग करने वाले अधिकारी उसी ग्राम में शनिवार को (तहसील/समाधान दिवस को छोड़कर) जाकर समस्या के निराकरण कर फीडबैक प्राप्त करेगें तथा जनपद के मुख्य विकास अधिकारी को इससे अवगत करायेगें। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार आगे निर्देश निर्गत किया जायेगा।

21– प्रत्येक **"ग्राम चौपाल"** की डिजिटल डायरी तैयार की जायेगी, जिसमें एजेण्डा बिन्दु के साथ कार्यक्रम के फोटोग्राफ्स सम्मिलित होगें। डिजिटल डायरी जनपद स्तर पर संरक्षित रखी जायेगी तथा आवश्यकतानुसार उपयोग में लाया जायेगा।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए प्रभावी ढंग से **"ग्राम चौपाल"** का आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–5 प्रारूप।

भवदीय,
29-12-2022
(उमाकान्त सिंह)
अनु सचिव।

संख्या–R-351/ 38–1–2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा० उपमुख्यमंत्री/मंत्री ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 सरकार।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग उ०प्र० सरकार।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
4. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
29-12-2022
(उमाकान्त सिंह)
अनु सचिव।

प्रारूप–1

ग्राम पंचायत से बाहर रहने वाले ग्राम के प्रवासियों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	मजरा	गांव से बाहर रहने वाले गांव के प्रवासी व्यक्ति का नाम	पिता / पति का नाम	जाति सामा0 / पि0 / अनु0जा0 / अनु0जन0जा0	उम्र	गांव से बाहर रहने की अवधि (वर्ष / माह)	गांव से बाहर रहने का उद्देश्य	मोबाइल नं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रारूप–2

ग्राम पंचायत के संभ्रांत/गणमान्य व्यक्तियों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	मजरा	गांव के संभ्रांत/गणमान्य व्यक्ति का नाम	पिता/पति का नाम	जाति सामा0/पि0/ अनु0जा0/ अनु0जन0जा0	उम्र	संभ्रांत/गणमान्य व्यक्ति की पहचान/पद	मोबाइल नं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रारूप–3

ग्राम पंचायत में मौजूद एथलीटो / खिलाड़ियों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	मजरा	गांव में मौजूद एथलीटो / खिलाड़ी का नाम	पिता / पति का नाम	जाति सामा0 / पि0 / अनु0जा0 / अनु0जन0 जा0	उम्र	खेल का नाम जिससे सम्बन्धित है	प्रतियोगिताओं में खेलने का स्तर ब्लाक / जनपद / राज्य / राष्ट्रीय / अन्तरराष्ट्रीय	यदि कोई पदक प्राप्त हो तो उसका विवरण	मोबाइल नं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रारूप–4

ग्राम पंचायत के आयोजन का साप्ताहिक प्रगति विवरण

क्र0 सं0	जनपद	ग्राम पंचायत का नाम जिसमें चौपाल का आयोजन किया गया	ग्राम चौपाल आयोजन की तिथि	ग्राम चौपाल हेतु रोस्टर के अनुसार नामित अधिकारी	ग्राम चौपाल में उपस्थित ग्रामवासियों की संख्या	चौपाल के दौरान पायी गयी कमियों का विवरण	निस्तारण हेतु की गयी कार्यवाही	प्रकरण निस्तारित/ अनिस्तारित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रारूप–5

ग्राम पंचायत में सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलो का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	गांव में स्थित सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थल का प्रचलित/ परम्परागत नाम	पता/मजरा	महत्ता/ ख्याति का मूल कारण	प्राचीनता की अवधि (वर्षों में)	स्थल पर होने वाले किसी आयोजन आदि का विवरण	उक्त स्थल की देखरेख प्रबन्धन/ रखरखाव करने वाले व्यक्ति का नाम/पता	मोबाइल नं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11